



**Address :**

4<sup>th</sup> Floor Block A PICUP Bhawan,  
Lucknow, Uttar Pradesh 226010

**Phone No.:** +91-522-2720236, 2720238

**Email:** info[at]investup[dot]org[dot]in

**Website -** <https://invest.up.gov.in/>



उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022

## प्रमुख बिन्दु

- वाणिज्यिक लेयर फार्म की स्थापना हेतु लाभार्थी द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर उसे 5 वर्षों के लिए 7% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परियोजनाओं के वित्तपोषण में मार्जिन मनी तथा बैंक ऋण का अनुपात क्रमशः 30% एवं 70% होगा।
- ब्रायलर पैस्ट फार्म की स्थापना हेतु लाभार्थी द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर उसे 5 वर्षों के लिए 7% प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परियोजनाओं के वित्तपोषण में मार्जिन मनी तथा बैंक ऋण का अनुपात क्रमशः 30% एवं 70% होगा।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी: पशुधन विभाग के बजट से योजना के अंतर्गत स्थापित पोल्ट्री इकाइयों के बिजली बिल में 10 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% छूट दी जाएगी।
- स्टाम्प ड्यूटी : नीति के अंतर्गत इकाई स्थापना के लिए खरीदी गई या लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट दी जाएगी।
- निगरानी के लिए समर्पित पोर्टल डेटाबेस प्रबंधन तथा परियोजना सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास हेतु चयनित लाभार्थियों को तकनीकी एवं उद्यमिता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाएगा।



नोडल एजेन्सी: पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश